न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी सलोनी खेमका, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 95 / 2020 वाद

1. श्री सोहनलाल पिताश्री गुमानाजी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी– कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्री भॅवरलाल पिताश्री भीमाजी डांगी उम्र वयस्क निवासी– कलड़वास तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 18.05.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम कलड़वास पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नई 351 आराजी सख्या 1500 एवं 1149 किता 2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम सम्पूर्ण हिस्से से दर्ज है। उक्त आराजीयात पर वादी आपसी विभाजन के पश्चात से ही वादी उक्त भूमि वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर वादी काश्त कर रहा है प्रतिवादी एक या किसी अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है मात्र वादी के कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादी ने नाजायज गिरोह बना रखा है तथा उक्त व्यक्ति वादी को अपनी भूमि से महरूम रखने की गरज से भूमि को जबरन वादी से हड़पना चाहते है तथा वादी को अपनी भूमि पर आने नहीं देता है तथा वादी को भूमि पर जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है तथा कह रहे है कि यदि तुम इस जमीन सीधे तरीके से हमे दे दो नहीं तो तुम जान से हाथ धो बेठोगे। वादी सीधा सादा व्यक्ति है तथा प्रतिवादी आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है तथा वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने व उस पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है तथा वादी को कथित भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम रखना चाहते है। वाद कारण दिनांक 08.07.2020 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादी वादी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देकर भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तथा आये दिन वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी और कहा कि भूमि हमारे नाम पर कराओ नहीं तो जबरन भूमि को हड़प लेगें तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो व निरन्तर जारी है।

अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध इस आशय की शाश्वत निषेद्याज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की मोजा कलड़वास पटवार हल्का कलड़वास तह. गिर्वा की आराजी संख्या 1500 रकबा 0.0100 हैक्टैयर एवं आराजी संख्या 1149 रकबा 0.0650 हैक्टैयर की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करें, भूमि में अनाधिकृत

उपखण्ड अधिकारी ★ उदयपुर (राजस्थान)

8u 18/5/22
उप खण्ड अधिकारी
गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)

रूप से प्रवेश नहीं करे, वादी के भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न हीं अपने परिजनों, नौकरों एजेन्टों इत्यादि से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से सूचित किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मानाराम डांगी द्वारा वकालात पत्र पेश होकर सलंग्न पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 16.03.2022 को जवाब अवसर बंद किए गए।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही होने से तनकीयात कायम नही की गई, प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित होने से अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहनता से अध्ययन किया गया, राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज होकर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना–देना नही है, प्रतिवादी संख्या 1 अनावश्यक परेशान करता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 को इस आश्य की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कलड़वास पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नई 351 आराजी सख्या 1500 एवं 1149 किता 2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि में रेकार्डेड खातेदार वादी के हक व हिस्से से बेदखल नही करें उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करें, भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे, वादी के भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न हीं अपने परिजनों, नौकरों एजेन्टों इत्यादि से ही करावें। तहसीलदार गिर्वा उक्तानुसार आदेश की पालना कराना सुनिश्चित करें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सलोनी खेमका)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा— उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर (राजस्थान)

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी सलोनी खेमका, आई.ए.एस. मुकद्मा 95/2022 वाद सन 2020 सीगह वाद (1) श्री सोहनलाल पिताश्री गुमानाजी जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी– कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री भॅवरलाल पिताश्री भीमाजी डांगी उम्र वयस्क निवासी– कलड़वास तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने सलोनी खेमका, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री भूरालाल डॉगी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 को इस आश्य की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कलड़वास पटवार मण्डल कलड़वास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नई 351 आराजी सख्या 1500 एवं 1149 किता 2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर भूमि में रेकार्डेड खातेदार वादी के हक व हिस्से से बेदखल नही करें उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करें, भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे, वादी के भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, न ही कब्जे से बेदखल करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न हीं अपने परिजनों, नौकरों एजेन्टों इत्यादि से ही करावें। तहसीलदार गिर्वा उक्तानुसार आदेश की पालना कराना सुनिश्चित करें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ...x...........रुपये की राशि.....x........आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....x.......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ..x...... ..द्वारा ....x.........को दी जाए।

यह आज तारीख ....18.......... माह ..05.. सन् ..2022.......... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .... [signature]

पद .... उप खण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		